

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।

जिला / वनमण्डल झालावाड में आर०आई०टी०एफ० योजना के अंतर्गत Construction of road from Beena ganj to Balwantpura तक सड़क निर्माण कार्य में 0.936 हे० वनभूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग झालावाड द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/11683/2015 पर रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कोटा से प्राप्त प्रस्ताव में पार्ट II, पार्ट III एवं पार्ट I का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है।

1. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C - (b) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न की गई KML file polygon shape में नहीं है। MoEF & CC को DSS Analysis करने हेतु KML file in polygon shape दी जानी प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव में संलग्न किये गये वनाधिकार प्रमाण पत्र में जिला स्तरीय कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
3. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के पैरा 4 (1) में इको क्लास 6 मरी गई है। जो उचित नहीं है। सही क्लास मरी जानी अपेक्षित है एवं उसी के अनुरूप एन०पी०वी० ली जानी प्रस्तावित है।
4. उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की योजना दी गई है एम०ओ०आई०एफ० के निर्देशों के कम में प्रस्ताव में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण देय नहीं है। इसके स्थान पर न्यूनतम 100 वृक्षों (फाटे जाने वाले वृक्षों का 10 गुना) के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक संधारण की योजना दी जानी प्रस्तावित है। इस हेतु उसके KML file, GT Sheet & DGPS map दिये जाने प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव में एक हार्ड प्रति (मूल) जिसमें अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज हो मय हस्ताक्षर, भी भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर मुख्य वन संरक्षक कोटा से सूचना प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। सूचना भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक को निर्देशित किया जाता है।

बिन्दु संख्या 1, 2 ~~संबंध~~ की कार्यवाही कायदे
एन० से कोर्पोरेट है, शीघ्र कार्यवाही अ० उचित
करे ताकि अतिरिक्त कार्यवाही की जा सके।



